न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. वीर सिंह दत्तक पुत्र श्री दरबारा सिंह जाति रायसिख उम्र 49 वर्ष निवासी 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) महोदय, श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थी.....

उपस्थित :- 1. श्री लाजपतराय वकील प्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(प्रार्थना पत्र बाबत वारिसान इन्तकाल दर्ज करने बाबत)

प्रकरण संख्या - 03/2019 निर्णय दिनांक - 28.02.2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि प्रार्थी चक 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी के दत्तक पिता दरबारा सिंह के नाम से चक 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर में मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 240/364 के किला नं 1 ता 25 में प्रार्थी के दत्तक पिता दरबारा सिंह का 1/4 हिस्सा भूमि पड़ती है। प्रार्थी के दत्तक पिता दरबारा सिंह पुत्र श्री सजवारा सिंह जाति रायसिख निवासी 3 के.एस.डी. का देहान्त दिनांक 04/10/2000 को हो चुका है। प्रार्थी के दत्तक पिता दरबारा सिंह का मैं प्रार्थी वीर सिंह दत्तक पुत्र दरबारा सिंह जाति रायसिख निवासी 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर एक ही वारिस हूँ। इसके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। प्रार्थी की उक्त भूमि में पूर्व प्रार्थी के नाम से तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर के द्वारा इन्तकाल नं. 94 दिनांक 18/09/2004 को वारिसान इन्तकाल दर्ज किया हुआ था। लेकिन दिनांक 12/09/2008 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर के द्वारा इन्तकाल संख्या 146 तहसीलदार आदेश क्रमांक भू आवंटन 08/2985 दिनांक 03/10/2008 निर्णय न्यायालय एस.डी.एम. रायसिंहनगर दिनांक 12/09/2008 के सम्बन्ध में इन्तकाल खारिज कर दिया। उक्त इन्तकाल खारिज के खिलाफ प्रार्थी रेवेन्यु बोर्ड अजमेर में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रेवेन्यु बोर्ड में अप्रार्थीगण व प्रार्थी के बीच में राजीनामा होने के कारण फैसला प्रार्थी के पक्ष में दिया। फैसले की चित्रप्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है तथा अप्रार्थीगण के द्वारा राजीनामे की भी चित्रप्रतिलिपियां संलग्न प्रार्थना पत्र है। जिसमें अप्रार्थीगण के द्वारा झूठी अपील पेश की गई थी। जिनमें अप्रार्थीगण का कोई हक व वास्ता नहीं था। उक्त भूमि में प्रार्थी एक ही जायज वारिसान था। तथा प्रार्थी के दत्तक पिता के द्वारा

लगातार.....2

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के नाम से वसीयत भी की हुई है। तथा प्रार्थी अपने दत्तक पिता के समस्त रिकॉर्ड राशन कार्ड व प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में प्रार्थी के पिता का नाम दरबारा सिंह का नाम शुरू से ही चला आ रहा है। तथा पंचायत के द्वारा वारिस प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। तहसीलदार राजस्व के द्वारा मुझ प्रार्थी के पक्ष में वारिसान इन्तकाल खारिज किया हुआ है लेकिन अब पुनः प्रार्थी अपने पक्ष में वारिसान इन्तकाल दर्ज करवाना चाहता है। जिस बाबत प्रार्थी तहसीलदार के समक्ष कई बार प्रार्थना पत्र व मौखिक उपस्थित हो चुका है। लेकिन तहसीलदार के द्वारा मुझ प्रार्थी को वारिसान इन्तकाल दर्ज करने से मना कर दिया तथा कहा कि आप न्यायालय से पुनः आदेश लेकर आओ तो ही तुम्हारे पक्ष में इन्तकाल दर्ज करेगे। इसलिए प्रार्थी तुरन्त माननीय न्यायालय के सक्षम उपस्थित हो रहा है तथा समस्त दस्तावेज पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में वारिसान इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर में मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 240/364 के किला नं 1 ता 25 में प्रार्थी के दत्तक पिता दरबारा सिंह का 1/4 हिस्सा भूमि का वारिसान घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि का इन्तकाल प्रार्थी के नाम से दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार राज की तरफ से पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ि अप्रार्थी पैरोकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी अनुसार चक 3 के.एस.डी. के प.नं. 240/364 का 6.325 है. कमाण्ड रकबा तारा सिंह, दरबारा सिंह पि. सजवारा सिंह, दानों बाई पुत्री सजवारा सिंह कौम रायसिख ब.हि. ब. 4.774 है. सा. देह प्रहलादराम 1.012 है., केदार 0.569 है. पि. गोपीकिशन जाति ब्राहम्ण सा. 6 पी.टी.डी.(बी) तहसील रायसिंहनगर खातेदार मय रहन एस.बी. बी.जे.(ए.डी.बी.) श्री विजयनगर हि. दानो बाई व आर.एम.जी.बी. शाखा सुखचैनपुरा हि. प्रहलादराम व केदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खातेदारान में से दरबार सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलार्थी उक्त दरबार सिंह की 1/4 हिस्सा भूमि स्वयं को दरबार सिंह का दत्तक पुत्र मानते हुए अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। जबकि कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त दरबारा सिंह के लाऔलाद फौत होने से जायज वारिसान इस प्रकार से है :- (1) रामो बाई पुत्री सजवारा सिंह (बहिन) (2) दानों बाई पुत्री सजवारा सिंह (बहिन) व (3) तारा सिंह पुत्र सजवारा सिंह (भाई)। उक्त दरबारा सिंह का वारिस एकमात्र अपीलार्थी वीर सिंह को मानते हुए इन्तकाल दर्ज हुआ था जो बाद में खारिज हो चुका है। उक्त प.नं. 240/364 में किला नं. 16 ता 23, 25 में अपीलार्थी का कब्जा काश्त है जो पुराना चला आ रहा है तथा किला नं. 17 में उक्त वीर सिंह की ढाणी बनी हुई है जिसमें वीर सिंह परिवार सहित निवास करता है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो व कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में पाया कि प्रार्थी द्वारा अपने उक्त

लगातार.....3

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

अनवानी प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो के समर्थन में न्यायालय के सक्षम कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है ना ही प्रार्थी द्वारा कोई गोदनामा प्रस्तुत किया गया है जिससे यह तथ्य साबित किया जा सके कि वह मृतक दरबारा सिंह का दत्तक पुत्र है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत वारिसान इन्तकाल दर्ज करने का विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण प्रथम दृष्टया काबिले निरस्ती के है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी अपने हको घोषणा करवाने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका दलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner